




9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतिमन एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समीहर्ता धनबाद को भेजे।

  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

बाद जमिलेख संख्या- 231 / 2018 (अन्तर्गत धारा-4(B), D.L.R Act, 1958)

सूचना

बनाय लाउरी गरीब पिठो चिन्माराह मन्त्री  
रता 0 लक्ष्मण

एतद द्वारा आपकी सूचित किया जाता है कि खाला नं०- 62 खेसरा नं०- 182  
खाला नं०- 62 के पंजी- II भाग 0-99 72 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व जमींदारी ने अचल निरीक्षक के माध्यम से जीवितवस्तु सदिन्ध प्रतिलिखित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 9/8/16 का संख्या- 1000 वाले पूर्वोक्त में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंटोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूखण्ड जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सामग्रीय प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अचोदकाली के कार्यालय प्रेषण में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपकी कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते ही  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में सुचित-सुप्रत निर्णय लेते हुए अचल निरीक्षक को दे दी जायेगी।

इसे सख्त साकीद जाने।

अचल जमींदारी  
दिल्ली

तिथि- मुहर  
स्थान-

2/8/16

अचल जमींदारी

दोसिस नात्रिला शिखा  
चौ० २५ सप० २६ लो  
06/8/16